

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

संख्या : 1/सी0-1018/2022-सा0प्र0-22852/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13-₹1,23,100 -2,15,900/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन /प्रभार
1.	श्री आलोक रंजन घोष(2011)	निदेशक, कृषि, बिहार, पटना ।
2	श्री महेन्द्र कुमार(2011)	प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना /निदेशक, ब्रेडा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना) ।
3	श्री त्यागराजन एस.एम.(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, गया) ।
4	श्री शीर्षत कपिल अशोक (2011)	महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना) ।
5	श्री राहुल कुमार (2011)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी -सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, जल-जीवन -हरियाली)

6	श्री मिथिलेश मिश्र (2011)	निदेशक, मध्याह्न भोजन, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना)
7	श्री पंकज दीक्षित(2011)	निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
8	श्री नवीन कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम (अतिरिक्त प्रभार— बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम)
9	श्री उदयन मिश्रा (2011)	निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— अपर सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) ।
10	श्री संजय कुमार पंसारी (2011)	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) ।

2. विभिन्न विभागों में अपर सचिव का प्रभार/अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाले पदाधिकारी विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से विशेष सचिव के रूप में पदनामित होंगे ।

3. आलोच्य अधिसूचना दिनांक 01.01.2024 अथवा उसके बाद की प्रभारग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रचना पाटिल)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:1/सी0-1018/2022-...../पटना-15,दिनांक 18 दिसम्बर,2023

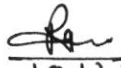
प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली /संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.),बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव,

बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आलोच्य प्रोन्नति के आलोक में श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0 (2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन(जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा धारित वर्तमान पदों को भा0प्र0से0(वेतन) निमयावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिये विशेष सचिव स्तर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


18.12.23
सरकार के विशेष सचिव ।